मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना

RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, स्वास्थ्य भवन,सी–स्कीम, जयपुर

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : rmsc@nic.in

क्रमांक : एफ6.( )/आरएमएससी/ लॉजिस्टीक/2013/2917 दिनांक : 28-6-13

समस्त जिला कलेक्टर,
समस्त मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी
राजस्थान

विषयः– मुख्य सचिव महोदय के निर्देशों की पालना बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना की तैयारियों की समिक्षा हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 08.05.2013 को आयोजित मिटिंग मे निम्न निर्देश दिये गये है :–

1. वर्तमान में प्रयोगशाला में सैम्पल कलेक्शन का समय ग्रीष्मकाल में प्रातः 8.00 से 11.00 बजे तक एवं शीतकाल में प्रातः 9.00 से 12.00 तक रखा गया है। जिला कलेक्टर , प्रमुख चिकित्सा अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी चिकित्सालय में उपलब्ध संसाधनों (Manpower, Equipments & Infrastructure ec.) की समीक्षा कर प्रयोगशाला में सैम्पल कलेक्शन का समय बढाने का निर्णय लें।
2. पैंशनर्स के लिये उपलब्ध दवाईयों का काउण्टर पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले किया जावे। साथ ही सुनिश्चित किया जावे कि विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई गई दवाईयों काउण्टर पर उपलब्ध रहे।
3. राजस्थान सरकार द्वारा जो निजी चिकित्सालय सरकारी कर्मचारियों एवं पैंशनर्स के लिए अधिकृत हो वहां पर कॉपरेटिव विभाग से समन्वय कर निःशुल्क दवा वितरण हेतु दवा वितरण केन्द्र (DDC) खोले जावें।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना एवं जांच योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव महोदय के समस्त उपरोक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

प्रमुख शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं
चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रतिलिपिः–

1. रजिस्ट्रार, कॉपरेटिव विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक, आरएमएससी।
3. आदेश पत्रावली।
4. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि कृपया संबंधित की Email ID पर अपलोड करें

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें